भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4005

जिसका उत्तर दिनांक 07.04.2022 को दिया जाना है

कुडनकडलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर उपयोग में लाए जा चुके परमाणु/नाभिकीय ईंधन का भंडारण

4005 श्री पी विल्सन :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर उपयोग में लाए जा चुके नाभिकीय ईंधन के भंडारण के संबंध में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम.के. स्टालिन द्वारा चिंता जताते हुए भेजे गए अभ्यावेदन पर कोई प्रतिक्रिया है क्योंकि इससे पर्यावरण और ऐसे संयंत्रों के स्थान पर और इनके आस-पास रहने वाले लोगों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकते हैं;

(ख) क्या कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (केएनपीपी) पर उपयोग में लाए जा चुके नाभिकीय ईंधन (एसएनएफ) के भंडारण संबंधी प्रस्ताव पर पर्यावरणीय अनुमोदन और सुरक्षा के संबंध में सरकार द्वारा कोई अध्ययन करवाया और शुरू किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) भुक्तशेष नाभिकीय ईंधन (एसएनएफ) को पुनर्संसाधन के लिए भेजे जाने तक नाभिकीय विद्युत संयंत्र के परिसर में इसके भंडारण के लिए सुविधाओं *[कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र में स्थित सहित]* को संरक्षित ठोस और विश्वसनीय निष्पादन के लिए वृहद् प्रचालनरत संरक्षा पहलुओं के प्रावधानों सहित संरक्षा की व्यापक दृष्टि से इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है कि वे भूकम्प और सुनामी जैसी भारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर सके । इन्हें नियामक आवश्यकताओं के अनुसार अभिकल्पित, निर्मित और प्रचालित किया जाता है और यह नियामक समीक्षा और जांच के अधीन रहती हैं जिससे सुविधा के सभी स्तरों पर संरक्षा की दृढ़ता सुनिश्चित हो और यह भी सुनिश्चित हो कि संयंत्र कार्मिक, सामान्य जनता या पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव न पड़े । ऐसी सुविधाएं तारापुर, महाराष्ट्र और रावतभाटा, राजस्थान स्थलों पर पहले से ही प्रचालित हैं और यह कार्मिक, जनता और पर्यावरण को प्रभावित किए बिना संरक्षित रूप से प्रचालनरत हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी), संरक्षा नियंत्रक ने एईआरबी द्वारा विर्निदिष्ट नियामक और संरक्षा आवश्यकता के अनुपालन की जाँच के बाद केकेएनपीपी-1 व 2 और केकेएनपीपी-3 व 4 में स्थित रिएक्टर से दूर (एएफआर) भुक्तशेष ईंधन गीला भंडारण सुविधाओं के लिए स्थल स्वीकृति प्रदान कर दी है । यह वर्तमान में एएफआर की अभिकल्प संरक्षा समीक्षा कर रहा है । केकेएनपीपी-3 व 4 और केकेएनपीपी-5 व 6 परियोजनाओं के संबंध में, इन सुविधाओं का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन, सम्पूर्ण परियोजना के ईआईए के भाग के रूप में किया गया । एसएनएफ के लिए भंडारण सुविधाओं सहित परियोजनाओं (केकेएनपीपी-3 व 4 और केकेएनपीपी-5 व 6) के लिए एमओईएफएंडसीसी द्वारा नियत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए इसपर ध्यानपूर्वक सोच-विचार के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई । एईआरबी ने केकेएनपीपी-3 व 4 में सुविधा स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान कर दी है ।

केकेएनपीपी-1 व 2 के लिए इस सुविधा की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है । देश में कहीं भी भुक्तशेष नाभिकीय ईंधन भंडारण सुविधाओं की स्थापना, एमओईएफएंडसीसी से पर्यावरणीय स्वीकृति और नियामक प्राधिकरण एईआरबी से संरक्षा स्वीकृति सहित सभी साविधिक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही की जाती है जिससे सुनिश्चित हो सके कि लोगों और आस-पास के वातावरण में किसी प्रकार का विकिरणकीय जोखिम न हो ।

* * * * *